

न्यायालय—सिराज अली, न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

आप.प्रकरण.क.—197 / 2009

संस्थित दिनांक—17.04.2009

फाईलिंग क. 234503000492009

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—मलाजखण्ड,
जिला—बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोजन

// विरुद्ध //

आदिल रसीद खान पिता अकबर खान, जाति मुसलमान, उम्र—31 साल,
निवासी—ग्राम मोहगांव, थाना मलाजखण्ड,
जिला—बालाघाट(म.प्र.)

— — — — — आरोपी

// निर्णय //

(आज दिनांक—11/12/2015 को घोषित)

1— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304(ए) एवं धारा—24 म.प्र. आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम 1987 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक—04.03.2009 से दिनांक—07.03.2009 के मध्य थाना मलाजखण्ड अंतर्गत ग्राम मोहगांव में एलौपैथिक चिकित्सा की योग्यता न होने के बावजूद भी फरियादी लल्लू गिरी की पत्नी सागनबाई का उपचार एलौपैथिक तरीके से लापरवाहीपूर्वक अथवा उपेक्षापूर्ण तरीके से किया, जिसके फलस्वरूप ही सागनबाई की मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती एवं एलौपैथिक चिकित्सा की उपाधि के बिना सागनबाई का एलौपैथिक पद्धति से उपचार कर रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के रूप में व्यवसाय किया।

2— संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक—08.03.2009 को प्रार्थी लल्लू गिरी द्वारा मर्ग लेख कराया गया कि दिनांक—04.03.2009 बुधवार को प्रार्थी लल्लू गिरी की पत्नी मृतिका सागनबाई गिरी के हाथ—पैर में दर्द होने एवं बुखार हाने से वह अपनी पत्नी को आरोपी डॉक्टर ए.आर. खान, मोहगांव के पास ईलाज कराने ले गया था, जिसने सागनबाई के दोनों हाथों में इंजेक्शन लगाकर दवाई गोली दिया था, जिसके एक घंटा बाद उसके दाहिने हाथ में सूजन आ गई तथा फफोले आ गए तो दूसरे दिन ईलाज कराने उसी डॉक्टर के पास ले गया, जहां ज्यादा तबीयत बिगड़ने लगी तो बैहर के डॉक्टर चौदसी व रांहगडाले के पास लेकर गए थे, जिन्होंने

ईलाज करने से मना कर दिया। दिनांक-07.03.2009 को उसे मोहगांव उसी डॉक्टर के पास ले गए, जहां उसने उसे सीरियस देखकर उसे बालाघाट ले जाने के लिए कहा और ले जाने के लिए मारुति वेन क्रमांक-एम.पी-50/बी.सी-0175 कर दिया, तब वह अपने परिवार और अपने रिश्तेदार के साथ उसे बालाघाट ले जाने निकला, तो लौगूर के पास उसकी पत्नी सागनबाई खत्म हो गई थी। विवेचना के दौरान मर्ग जांच पर शव पंचायतनामा कर पी.एम. कराया, जिसमें मृतिका की मृत्यु का कारण न्यूरोजोनिक शॉक है, जो कि सेपटीसेमिया और कैमिकल रिएक्शन से होना पाया था। मृतिका का ईलाज प्राइवेट चिकित्सक आरोपी द्वारा रजिस्टर्ड ऐलोपैथिक चिकित्सक न होते हुए ऐलोपैथिक चिकित्सा पद्धति द्वारा लापरवाही पूर्वक कर इंजेक्शन लगाकर टेबलेट खाने को दी गई थी, जिसके दुष्परिणाम के कारण मृतिका सागनबाई की मृत्यु हुई, जो धारा 304(ए) भा. दं.सं. एवं धारा-24 म.प्र. आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम 1987 का अपराध पाये जाने से आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-14/2009 पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई, पुलिस द्वारा गवाहों के बयान लिये गये, घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया गया, जप्तीपत्रक के अनुसार सम्पत्ति जप्त कर जप्तशुदा सम्पत्ति विधि विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षण हेतु भेजी गई एवं आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-304(ए) एवं धारा-24 म.प्र. आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम 1987 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश की है।

4- प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपी ने दिनांक-04.03.2009 से दिनांक-07.03.2009 के मध्य थाना मलाजखण्ड अंतर्गत ग्राम मोहगांव में एलोपैथिक चिकित्सा की योग्यता न होने के बावजूद भी फरियादी लल्लू गिरी की पत्नी सागनबाई का उपचार एलोपैथिक तरीके से लापरवाहीपूर्वक अथवा उपेक्षापूर्ण तरीके से किया, जिसके फलस्वरूप ही सागनबाई की मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती ?

2. क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर एलौपैथिक चिकित्सा की उपाधि के बिना सागनबाई का एलौपैथिक पद्धति से उपचार कर रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी के रूप में व्यवसाय किया ?

विचारणीय बिन्दुओं पर सकारण निष्कर्ष :-

5— लल्लू गिरी (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है तथा घटना एक वर्ष पूर्व दोपहर की है। वह अपने परिवार के साथ हारमोनियम सुधारने के लिए 10-15 दिन के लिए ग्राम मोहगांव गया था। वे लोग तुलाराम के घर के पास आम के पेड़ के नीचे रुके थे, वहां पर उसकी पत्नी सागनबाई की तबीयत खराब हो गई थी, उसे लेकर वह बुधवार के दिन वह न्यायालय में उपस्थित डॉक्टर के पास लेकर गया था तो आरोपी ने उसकी पत्नी के दोनों हाथों में इंजेक्शन लगाया। उसके वापस आने के बाद उसकी पत्नी सागनबाई के दोनों हाथों में सूजन और जलन बढ़ गई थी, तो गुरुवार के दिन फिर से वह अपनी पत्नी को आरोपी के पास लेकर गया, तो आरोपी ने कहा कि वह उसका ईलाज कर ठीक कर देगा और आरोपी उसका ईलाज करते रहा और शनिवार को ज्यादा तबीयत खराब होने से आरोपी ने वाहन की व्यवस्था कर दी थी, जिससे वह अपनी पत्नी को लेकर बालाघाट जा रहा था, तो जाते समय लौगूर के जंगल में उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। फिर वहां से उसने अपनी पत्नी की लाश को लेकर वापस मोहगांव आ गए और उसके बाद मलाजखण्ड थाना आ गए। फिर पुलिस वालों ने पूछताछ कर उसकी रिपोर्ट लिखी थी और उसकी पत्नी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया था।

6— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने अपनी पत्नी का किसी अस्पताल में ईलाज नहीं कराया। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि उसकी पत्नी के बीमार होने से मृत्यु तक आरोपी के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं की। साक्षी का स्वतः कथन है कि आरोपी ने उससे कहा था कि वह ठीक कर देगा। इस प्रकार साक्षी के कथन का उसके प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है।

7— रामकुंवरबाई (अ.सा.15) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी व मृतिका सागनबाई को जानती है। घटना डेढ़-दो वर्ष पूर्व की है। उन लोगों ने अपना डेरा ग्राम मोहगांव में आम के पेड़ के नीचे लगाया था।

मृतिका की एक रात तबीयत खराब हो गई थी, तो उसे आरोपी के पास ले गए थे, जिसने उसे इंजेक्शन लगाया था, जिससे उसे जलन होने लगी थी। मृतिका को दूसरे दिन फिर से ईलाज हेतु आरोपी के पास लेकर गए थे। आरोपी ने फिर से ईलाज किया और मलम वगैरह लगाया था। आरोपी के पास मृतिका को तीन बार लेकर गए थे। आखरी बार आरोपी ने कहा कि मैं कार बना देता हूं, जिससे बालाघाट अस्पताल लेकर जाओ, किन्तु बालाघाट पहुंचने के पहले ही सागनबाई की मृत्यु हो गई थी। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का खण्डन नहीं हुआ है। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामलों का समर्थन करते हुए साक्ष्य पेश की है।

8— डॉ. एच.के. पवार (अ.सा.4) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी तथा मृतिका सागनबाई को जानता है। घटना के दिन मृतिका सागनबाई को उसका पति और अन्य लोग लेकर आए थे। मृतिका सागनबाई के हाथ में इंफेक्शन था और सूजन थी और उसमें से पस निकल रहा था। मृतिका के पति ने उसे बताया था कि सागनबाई का ईलाज मोहगांव के डॉक्टर आदिल खान के द्वारा किया गया था, जिसके एक दिन बाद उसके हाथ में सूजन आ गई थी। घटना के दिन उसने मृतिका का ईलाज नहीं किया था तथा हास्पिटल में जांच कराने के लिए कहा था। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने पुलिस को बयान देते समय बताया कि सागनबाई के पति ने यह बताया था कि उसकी पत्नी का ईलाज आदिल डॉक्टर ने किया है। यदि उसके पुलिस कथन प्रदर्श डी-1 में उक्त बात न लिखी हो तो वह कारण नहीं बता सकता। इस साक्षी के कथन का भी बचाव पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है।

9— अनिल (अ.सा.6) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी को जानता है। वर्ष 2009 में वे पूरे परिवार सहित काम-धंधे के सिलसिले में मोहगांव गए थे। 4 तारीख को उसकी डेढ़ सास सागनबाई की तबीयत खराब हुई तो वे आरोपी की डिस्पेंसरी में लेकर गए थे, जहां आरोपी ने उसका ईलाज किया, किन्तु उसकी तबीयत ठीक नहीं हुई, तो वे पुनः 5 तारीख को उसके पास ईलाज हेतु लेकर गए थे। फिर भी सागनबाई की तबीयत ठीक नहीं हुई, तो वे शुक्रवार को सागन बाई को लेकर आरोपी के पास गए और बताया कि तबीयत ठीक नहीं हुई, तो आरोपी ने कहा ठीक है, मैं ईलाज करता हूं, तुम्हें दो-तीन दिन रेग्यूलर

आना पड़ेगा। फिर आरोपी ने इंजेक्शन लगाया, किन्तु सागनबाई के हाथ में फफोले आ गए थे और शरीर गलने लगा था और वह तड़पने लगी थी। फिर वे शनिवार को सागनबाई को लेकर आरोपी के पास गए, तो आरोपी ने कहा कि इसे लेकर बालाघाट चले जाओ, तो वे सागनबाई को लेकर बैहर में डॉक्टर पवार के पास लेकर आए, तो डॉक्टर पवार ने कहा कि पहले जिस डॉक्टर से ईलाज करवाए हो, उसी डॉक्टर के पास ले जाओ, दवाई रियेक्शन कर गई है, हम हाथ नहीं डालते। फिर वे सागनबाई को लेकर मोहगांव आरोपी डॉक्टर के पास गए, तब आरोपी ने कहा कि बालाघाट में मेरे परिचित डॉक्टर खान है, वहां चले जाओ, पूरा खर्चा मैं दूंगा। फिर उन लोगों ने कहा कि पैसे की बात नहीं है, मरीज ठीक हो जाए। उन लोगों ने डॉक्टर को कहा कि आप भी हमारे साथ चलो, तो डॉक्टर ने कहा कि मेरी डिस्पेंसरी में बहुत काम है, तुम लोग चले जाओ, गाड़ी की व्यवस्था कर देता हूं। फिर वे सागनबाई को लेकर मोहगांव से बालाघाट के लिए निकले तो लौगूर के जंगल में सागनबाई की मृत्यु हो गई। फिर वह मोहगांव आकर थाना मलाजखण्ड में रिपोर्ट की। पुलिस ने उसके समक्ष उसके साडू भाई, लल्लू गिरी से दवाईयां और दवाईयों के कागज जप्त करके उसके समक्ष जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-4 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। शव पंचनामा की कार्यवाही प्रदर्श पी-5 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

10— उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं हुआ है। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामलें का समर्थन करते हुए अपनी साक्ष्य में कथन कियें हैं, जिसमें महत्वपूर्ण विरोधाभास व लोप न होने से उसकी साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है।

11— डॉक्टर एम. मेश्राम (अ.सा.8) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-08.03.2009 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आरक्षक तिलक क्रमांक-880, थाना मलाजखण्ड द्वारा श्रीमती सागन बाई का शव परीक्षण हेतु लाए जाने पर उसने मृतिका के बाह्य परीक्षण में पूरे शरीर में सूजन, जीभ बाहर निकली हुई, बायां कान, भुजा, कलाई, छाती के उपरी भाग आदि में फफोले पाए गए थे और पूरा पेट फूला हुआ था। मृतिका की पीठ और कूल्हों पर भी फफोले थे व शरीर से दुर्गन्ध आ रही थी। उसने मृतिका के शरीर के आंतरिक परीक्षण कर शरीर में से फेफड़े के टुकड़े, हृदय, यकृत,

प्लीहा, दोनों गुर्दों के टुकड़े, आमाशय व आंत के अंदर की वस्तु, खून के थक्के संरक्षित कर जांच हेतु आरक्षक को सौंपी थी। मृतक की मृत्यु परीक्षण के 36 घंटे के भीतर होना संभावित थी। शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-7 पर भी उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने मृतिका की मृत्यु का कारण सेफ्टी सिमिया और कैमिकल रियेक्शन के कारण होना संभावित बताया है।

12— उक्त साक्षी ने अपने कथन में यह बताया है कि दिनांक-16.03.2009 को थाना प्रभारी मलाजखण्ड के द्वारा उससे क्यूरी रिपोर्ट मांगने पर उसने क्यूरी रिपोर्ट प्रदर्श पी-8 में यह बताया था कि मृत्यु का सही कारण न्यूरोजेनिक शॉक है, जो कैमिकल रियेक्शन किसी दवाई के द्वारा हो सकता है। शरीर में पाए गए छाले व कैमिकल रियेक्शन के द्वारा मृत्यु होना सही कारण है। इस प्रकार साक्षी ने मृतिका सागनबाई की दवाई के रियेक्शन से मृत्यु कारित होने की संभावना की पुष्टि की है।

13— हरिओम चौहान (अ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-15.03.2009 को बिरसा अस्पताल में वार्ड ब्याय के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को एक सीलबंद डिब्बे में आमाशय, छोटी आंत तथा बड़ी आंत के टुकड़े एवं दूसरे सीलबंद डिब्बे में दोनों फेफड़े, हृदय, प्लीहा, यकृत तथा दोनों गुर्दे तथा तीसरे सीलबंद डिब्बे में मृतिका के गर्भाशय को नमक के घोल में डालकर सीलबंद कर नमूना पुलिस को दिया था। उक्त कार्यवाही के संबंध में जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 बनाया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

14— तिलकचंद (अ.सा.13) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-08.03.2009 को मलाजखण्ड थाना में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। थाना प्रभारी महोदय के आदेशानुसार मृतिका सागनबाई का शव अपनी सुरक्षा में लेकर पोस्टमार्टम हेतु अस्पताल लेकर गया था। पी.एम. के पश्चात् वापस थाना आकर शव उनके परिवार के वारसानों के सुपुर्द किया था। डॉक्टर के द्वारा पी.एम. रिपोर्ट बाद में देने को कहा गया था। उसके द्वारा की गई कार्यवाही के दस्तावेज प्रदर्श पी-15 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने मृतिका सागनबाई का शव परीक्षण करने के पश्चात् उसका शव परिवार के सुपुर्द किये जाने के संबंध में समर्थनकारी साक्ष्य पेश की है।

15— अनुसंधानकर्ता अधिकारी बी.सी. झारिया (अ.सा.9) ने अपने मुख्यपरीक्षण

में कथन किया है कि वह दिनांक-08.03.2009 को थाना मलाजखण्ड में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। फरियादी लल्लू गिरी की सूचना के आधार पर उसके द्वारा मार्ग इंटीमेशन रिपोर्ट प्रदर्श पी-9 दर्ज की गई थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। मार्ग इंटीमेशन रिपोर्ट के आधार पर जांच की, जिसमें मृत्यु जांच पंचायतनामा प्रदर्श पी-5, नक्शा शव पंचायतनामा प्रदर्श पी-10 साक्षियों के समक्ष बनाया था, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। मृतिका सागनबाई को शव परीक्षण हेतु प्रदर्श पी-11 के अनुसार भेजा था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-08.03.2009 को घटनास्थल पर जाकर लल्लूगिरी की निशानदेही पर मौकानक्शा प्रदर्श पी-12 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-09.03.2009 को प्रायवेट डॉक्टर ए.आर. खान के दवाखाना में लिखी गई पर्ची एक सिल्वर कलर के टेबलेट की पन्नी, एक गुलाबी रंग के टेबलेट की पन्नी, एक सफेद रंग की प्लास्टिक की डिब्बी, जिसमें छोटी गोलियां भरी थी, हरे रंग के रेपर में तीन जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-4 के अनुसार जप्त किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-08.03.2009 को गवाह लल्लू गिरी, अनिल, श्रीमती रामकुंवरबाई के बयान उनके बताए अनुसार तथा दिनांक-09.03.2009 को सददाम खान एवं शिवकुमारी तथा शिव कुमार के बयान उनके बताए अनुसार लेख किया था। उक्त जांच के पश्चात् आरोपी के द्वारा अपराध किये जाने के आधार पर अपराध क्रमांक-14/09 पर प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-13 कायम की थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-15.03.2009 को प्रदर्श पी-1 व 2 के अनुसार वस्तुओं की जप्ती किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

16— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का बचाव पक्ष की ओर से महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामलें में की गई प्राथमिक अनुसंधान कार्यवाही व प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में समर्थनकारी साक्ष्य पेश की है।

17— इन्द्रमणी पटेल (अ.सा.7) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-15.03.2009 को थाना मलाजखण्ड में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था। दिनांक-16.03.2009 को प्रकरण के आरोपी आदिल रसीद खान को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-3 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को मृतिका की मौत का कारण जानने के लिए शासकीय अस्पताल बिरसा के सी.एम.ओ. साहब डॉक्टर एम. मेश्राम को पत्र लिखा था, जो प्रदर्श पी-6 है, जिस पर उसके

हस्ताक्षर हैं। प्रकरण के आरोपी की गिरफ्तारी की सूचना उसके रिश्तेदार अकबर खान को दी गई थी। अनुसंधान के दौरान प्रकरण के साक्षी अनिल, शिवकुमार, शिवकुमारी, श्रीमती रामकुंवरबाई, लल्लू गिरी, डॉ. एच.के. पवार, डॉ. टी.के. चोंदसी, देवेन्द्र कुमार, सद्दाम खान के बयान उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किया था। अनुसंधान पूर्ण कर चालान माननीय न्यायालय समक्ष पेश किया था।

18— उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामलें में की गई अनुसंधान कार्यवाही को समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रमाणित किया है।

19— एन.आर. मस्के (अ.सा.11) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—25.03.2009 को पटवारी के पद पद पदस्थ था। अतिरिक्त तहसीलदार बिरसा के आदेशानुसार उसके द्वारा अपराध क्रमांक—14/09 में घटनास्थल पर जाकर नजरी नक्शा बनाया था, जो प्रदर्श पी—14 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने आरोपी के प्राईवेट दवाखाना, जहां मृतिका सागनबाई का ईलाज किया जाना बताया गया है, का मौकानक्शा तैयार करने के संबंध में समर्थनकारी साक्ष्य पेश की है।

20— आरक्षक संतोष (अ.सा.17) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह हरिओम चौहान को जानता था, जो शासकीय अस्पताल बिरसा में स्वीपर था। दिनांक—15.03.2009 को थाना मलाजखण्ड में आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसके सामने हरिओम चौहान से थाने में पेश करने पर मृतिका के शरीर के अंग सील बंद डिब्बे से और नमक का घोल सीलबंद डिब्बे में जप्तीपत्रक प्रदर्श पी—1 के अनुसार जप्त हुआ था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

21— तामस कुमार चौधरी (अ.सा.10) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी आदिल रसीद खान को नहीं जानता। वह सागनबाई नामक महिला को भी नहीं जानता। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने अभियोजन मामलें का किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

22— समलसिंह (अ.सा.12) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह

हरिओम को जानता है। वह शासकीय अस्पताल में स्वीपर है। उसके समक्ष हरिओम से प्रदर्श पी-1 अनुसार मृतिका सागनबाई का बिसरा जप्त किया गया था। जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-1 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया कि उक्त डिब्बे में बिसरा रखते समय वह उपस्थित नहीं था।

23— सददाम खान (अ.सा.14) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी को जानता है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने अभियोजन मामलों का किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

24— मनोज कुमार (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है। उसके समक्ष कोई जप्ती या गिरफ्तारी की कार्यवाही नहीं हुई थी, किन्तु जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-2 एवं गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-3 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने उसके समक्ष दस्तावेज, दवाई व इंजेक्शन जप्त होने से इंकार किया है। साक्षी ने उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार किये जाने से भी इंकार किया है।

25— देवेन्द्र बघेल (अ.सा.5) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपी को जानता है। वह मृतिका सागनबाई को नहीं जानता। आरोपी का दवाखाना उसकी दुकान के सामने है। आरोपी ने उससे कोई गाड़ी नहीं लिया था। उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने अभियोजन मामलों का किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

26— पंचूलाल (अ.सा.16) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है। उसके सामने पुलिस ने आरोपी से कोई जप्ती नहीं की थी। जब वह थाना मलाजखण्ड गया था तो पुलिस ने प्रदर्श पी-2 पर उसके हस्ताक्षर करवाए थे। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने इस सुझाव से इंकार किया है कि पुलिस ने उसके सामने आरोपी से प्रमाण पत्र, इंजेक्शन की शीशी व टूटा हुआ इंजेक्शन जप्त किया था। यद्यपि साक्षी ने यह स्वीकार किया कि आरोपी का मोहगांव बस स्टैण्ड के पास दवाखाना है।

27— बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क पेश किया गया है कि उसके पास कौंसिल ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडीसिन की डिग्री एवं रजिस्ट्रेशन

प्रमाणपत्र है। बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क पेश किया गया है कि आरोपी के द्वारा विधिवत् अधिकृत होते हुए मृतिका सागनबाई का समुचित ईलाज किया गया है। इस कारण उसके द्वारा कोई अपराध किया जाना प्रकट नहीं होता है। इस संबंध में स्वयं आरोपी आदिल रसीद (ब.सा.1) ने साक्ष्य प्रस्तुत कर कौंसिल ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडीसिन की डिग्री एवं रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र प्रदर्श डी-2 एवं प्रदर्श डी-3 पेश किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि कौंसिल ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडीसिन एवं एम.बी.बी.एस. अलग-अलग कोर्स होते हैं और दोनों की पद्धति भी अलग होती है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-2 में दर्शित डिप्लेक्स एवं बॉबेरॉन के इंजेक्शन लगाने की अनुमति नहीं रहती है।

28— अभियोजन की ओर से प्रस्तुत महत्वपूर्ण साक्षी मृतिका सागनबाई के पति लल्लू गिरी (अ.सा.1), मृतिका के दामाद अनिल (अ.सा.6) एवं मृतिका की माँ रामकुंवरबाई (अ.सा.15) ने एक राय होकर अपनी साक्ष्य में यह बताया है कि घटना के समय चार तारीख को सागनबाई की तबीयत खराब होने से उसे आरोपी के डिस्पेंसरी में ईलाज के लिए लेकर आए तो आरोपी ने ईलाज के दौरान सागनबाई को इंजेक्शन लगाया, जिससे उसके हाथ में फफोले आ गए और शरीर गलने लगा। सागनबाई की हालत खराब होने पर भी आरोपी आगे ईलाज करते रहा और पश्चात् में अधिक तबीयत खराब होने पर आरोपी ने बालाघाट ईलाज हेतु रिफर किया, जिस पर रास्ते में जाते समय ही मृतिका सागनबाई की मृत्यु हो गई।

29— प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य से यह भी प्रकट होता है कि घटना के पश्चात् मृतिका सागनबाई को वापस मोहगांव लाने के पश्चात् पुलिस थाना मलाजखण्ड ने मार्ग जांच के उपरान्त आरोपी के विरुद्ध नामजद रिपोर्ट दर्ज की थी। मृतिका सागनबाई का शव परीक्षण कराकर उसका बिसरा आदि विधिवत् जप्त कर जांच हेतु भेजा गया और पुलिस द्वारा मामलें में शेष अनुसंधान कार्यवाही किये जाने के संबंध में समर्थनकारी साक्ष्य पेश कर प्रकरण में प्रमाणित की गई है। प्रकरण में यह तथ्य भी महत्वपूर्ण रूप से प्रकट होता है कि मृतिका सागनबाई का आरोपी के द्वारा दिनांक-04.03.2009 से मृत्यु दिनांक-07.03.2009 के बीच अन्य चिकित्सक के द्वारा ईलाज नहीं किया गया है और न ही उसे किसी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतिका सागनबाई का आरोपी के ईलाज के पश्चात् हाथ में इंफेक्शन व सूजन आने व उसमें पस निकलने के संबंध में

चिकित्सक डॉक्टर एस.के. पवार (अ.सा.4) ने पुष्टि करते हुए बताया है कि उसने उसे अस्पताल में ईलाज कराने के लिए कहा था। मृतिका सागनबाई का शव परीक्षण करने वाले चिकित्सक डॉक्टर एम. मेश्राम (अ.सा.8) ने अपनी साक्ष्य में इस तथ्य की पुष्टि की है कि मृतिका की मृत्यु दवाई के कैमिकल रियेक्शन से होना संभावित है। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मेडिको लीगल इंस्टीट्यूट भोपाल की परीक्षण रिपोर्ट में भी यह लेख है कि मृतिका को इंजेक्शन लगाने तथा उससे उत्पन्न विकृति के कारण उसकी मृत्यु हुई है, तो क्या उक्त चिकित्सक इस तरह के ईलाज के लिए अधिकृत है। उक्त संपूर्ण साक्ष्य से केवल आरोपी के द्वारा लगाए गए इंजेक्शन व दी गई दवाई के कारण रियेक्शन से ही मृतिका की मृत्यु होने के अलावा अन्य किसी कारण से मृतिका की मृत्यु कारित होने की अधिसंभावना प्रकट नहीं होती है।

30— आरोपी के द्वारा एलौपैथिक चिकित्सा की योग्यता न होने के बावजूद भी मृतिका सागनबाई का एलौपैथिक उपचार कर व उसे एलौपैथिक दवाई वाला इंजेक्शन लगाकर ईलाज किया जाना प्रकट होता है। आरोपी ने मृतिका सागनबाई के ईलाज के दौरान उसकी हालत खराब होने पर भी उसे ठीक कर देने का आश्वासन दिए जाने से मृतिका के परिजन को अन्य चिकित्सक से या किसी अस्पताल में मृतिका सागनबाई का समुचित ईलाज नहीं कराया जा सका। आरोपी का उक्त कृत्य न केवल उपेक्षापूर्ण कार्य की श्रेणी में आता है, बल्कि उसके उतावलेपन तरीके से ईलाज के फलस्वरूप ही मृतिका सागनबाई की मृत्यु कारित हुई। इस प्रकार यह तथ्य प्रमाणित है कि आरोपी के द्वारा बिना अर्हता के उतावलेपन एवं उपेक्षापूर्वक ईलाज करने के परिणामस्वरूप मृतिका सागनबाई की ऐसी मृत्यु कारित की गई, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती।

31— आरोपी की ओर से प्रस्तुत कौंसिल ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र प्रदर्श डी-2 रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र प्रदर्श डी-3 के अवलोकन से यह प्रकट नहीं होता कि आरोपी को एलौपैथिक चिकित्सा पद्धति से ईलाज करने की मान्यता प्राप्त है। इस संबंध में आरोपी की ओर से राज्य सरकार के द्वारा जारी कोई नोटिफिकेशन भी पेश नहीं किया गया है। न्यायदृष्टांत भारतीय अल्टरनेटिव मेडिकल फाउण्डेशन व अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ एम.पी. व अन्य 2010 (4) एम.पी.एल.जे. 124 में माननीय उच्च न्यायालय ने यह

अभिनिर्धारित किया है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसीन की विशिष्ट सिस्टम मान्यता देने हेतु विधान हेतु न्यायालय राज्य सरकार को विवश नहीं कर सकती।

32— आरोपी के पास घटना के समय एलोपैथीक पद्धति से ईलाज किये जाने हेतु मान्यता प्राप्त चिकित्सा व्यवसायी की डिग्री होना प्रकट नहीं होता है और न ही आरोपी ने विधिवत् बी.ए.एम.एस की डिग्री प्राप्त की है। ऐसी दशा में आरोपी के द्वारा प्रस्तुत न्यायदृष्टांत **गोर्धन विरुद्ध स्टेट ऑफ एम.पी. 2009 (2) एम.पी. डब्ल्यू.एन 34** का लाभ आरोपी को प्राप्त नहीं होता है। आरोपी पर यह भार था कि वह यह साबित करे कि उक्त प्रमाण पत्र के अनुसार उसे ऐलोपैथिक चिकित्सीय पद्धति के अंतर्गत भी ईलाज करने की पात्रता प्राप्त थी, जिसे आरोपी ने राज्य सरकार के नोटिफिकेशन या अन्य दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं किया है। बल्कि न्यायदृष्टांत **भारतीय अल्टरनेटिव मेडिकल फाउण्डेशन व अन्य विरुद्ध स्टेट ऑफ एम.पी. व अन्य 2010 (4) एम.पी.एल.जे. 124** के आलोक में आरोपी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से उसे ऐलोपैथिक पद्धति से चिकित्सीय व्यवसाय करने की अनुज्ञा प्राप्त होना प्रकट नहीं होता है।

33— प्रकरण में प्रस्तुत सम्पूर्ण साक्ष्य, तथ्य एवं उक्त विधिक स्थिति की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि आरोपी के द्वारा मृतिका सागनबाई का दिनांक—04.03.2009 से दिनांक—07.03.2009 के बीच ऐलोपैथीक पद्धति से ईलाज करने हेतु अधिकृत न रहते हुए भी आरोपी के द्वारा एलोपैथिक दवाई का इंजेक्शन मृतिका सागनबाई को लगाकर उतावलेपन व उपेक्षापूर्वक कार्य करते हुए उसकी मृत्यु कारित की। अभियोजन की ओर से यह तथ्य भी युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया गया है कि आरोपी ने मृतिका सागनबाई का ऐलोपैथिक पद्धति से ईलाज किया था, जबकि आरोपी के पास कौंसिल ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र था, जिसके अंतर्गत उसे ऐलोपैथिक पद्धति से चिकित्सीय व्यवसाय करने की अनुज्ञा प्राप्त नहीं थी। आरोपी ने म.प्र. आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा—11 के अंतर्गत विधिवत् पंजीकृत होने के संबंध में कोई प्रमाण पत्र पेश नहीं किया है तथा आरोपी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा—11 का उल्लंघन किया जाना प्रकट होता है। इस प्रकार आरोपी ने म.प्र.आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा—24 के अंतर्गत अपराध किया है, जिसके परंतुक के अधीन आरोपी को लाभ प्राप्त

नहीं होता है। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-304(ए) एवं म.प्र. आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा-24 के अंतर्गत दोषसिद्ध पाया जाता है।

34— अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को आपराधिक परीविक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय स्थगित किया गया।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

पुनश्च :-

35— आरोपी व उसके अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपी की ओर से निवेदन किया गया है कि उसके विरुद्ध किसी अपराध में पूर्व दोषसिद्धि का प्रमाण नहीं है। आरोपी आदतन अपराधी नहीं है, परिवार का एकमात्र कमाने वाला सदस्य है, वह प्रकरण के विचारण में लगातार उपस्थित रहा है। अतएव उसे केवल अर्थदण्ड से दण्डित किया जावे।

36— आरोपी के द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सिस्टम के प्रमाण पत्र के आधार पर ऐलोपैथिक पद्धति से ईलाज किया जाना न केवल अपराध है, बल्कि ग्रामीण एवं अनपढ़ व्यक्तियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ भी है। ऐसे अपराध के लिए आरोपी को केवल अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने पर समाज में गलत संदेश पहुँचेगा। अतएव आरोपी को निम्नानुसार दंडित किया जाता है:-

धारा	कारावास	अर्थदंड	अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में कारावास
भारतीय दण्ड संहिता की धारा-304 ए	1 वर्ष का कठोर कारावास	500/-	एक माह का कठोर कारावास
म.प्र. आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम, 1987 की धारा-24	1 वर्ष का कठोर कारावास	2,000/-	एक माह का कठोर कारावास

37— आरोपी को दी गई कारावास की सजा साथ-साथ भुगताई जावे।

38— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

39— आरोपी मामले में दिनांक—16.03.2009 से दिनांक—14.05.2009 तक न्यायिक अभिरक्षा में रहा है, उक्त अवधि आरोपी को दी गई मूल कारावास की अवधि में समायोजित की जावे एवं उक्त के संबंध में धारा—428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत पृथक से प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे।

40— प्रकरण में जप्तशुदा सम्पत्ति दवाईयां अपील अवधि पश्चात् नष्ट किया अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट